क्र० सं०	राज्य	1994-95	1995-96	1996-97
10.	मध्य प्रदेश	10,231	10,577	9,666
11.	महाराष्ट्र	18,934	13,589	11,079
12.	मणिपुर	6,047	7,770	6,035
13.	मेघालय	8	248	468
14.	मिजोरम	2,228	2,225	3,698
15.	नागालैंड	1,010	1,041	1,834
16.	उड़ीसा	12,448	9,165	13,907
17.	पंजाब	27,831	18,714	22,618
18.	राजस्थान	11,454	6,385	6,099
19.	सिक्किम	52	1,063	183
20.	तमिलनाडु	15,687	16,667	18,464
21.	त्रिपुरा	546	436	1,828
22.	उत्तर प्रदेश	40,343	53,442	6,824
23.	पश्चिम बंगाल	23,571	17,039	17,107
संघ राज्य क्षेत्र				
1.	चंडीगढ़	1,186	2,202	1,174
2.	दिल्ली	37,207	28,626	40,149
3.	पांडिचेरी	560	2,343	331

विवरण—2

वर्ष 1996-97 के दौरान मद्य निषेध और नशीली दवा दुरूपयोग निवारण की योजना के अंतर्गत नशामुक्ति केन्द्रों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	केन्द्रों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	3
2.	असम	1
3.	बिहार	10
4.	गोवा	1
5.	गुजरात	5
6.	हरियाणा	8
7.	जम्मू और कश्मीर	1
8.	कर्नाटक	3
9.	केरल	11
10.	मध्य प्रदेश	4
11.	महाराष्ट्र	7
13.	मिजोरम	5
14.	मेघालय	—
15.	नागालैंड	2
16.	उड़ीसा	6
17.	पंजाब	7
18.	राजस्थान	4
19.	सिक्किम	—
20.	तमिलनाडु	8
21.	त्रिपुरा	—
22.	उत्तर प्रदेश	12
23.	पश्चिम बंगाल	6
		114

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं को अनुदान

1384. **श्री सूर्यभान पाटील वहाडणे:** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

उम्मीदवारों को प्रतियोगी परीक्षा हेतु प्रशिक्षण दिये जाने के लिए शिक्षण संस्थाओं को अनुदान प्रदान किए जाने हेतु सरकार द्वारा स्थापित मापदंड क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक संस्था को प्रदान की गई अनुदान राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन संस्थाओं द्वारा अनुदान का उचित उपयोगी और प्रतियोगी के समुचित प्रशिक्षण का ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया): (क) उन परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, सरकारी उपक्रमों आदि द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करवाते है। ये केन्द्र राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों तथा निजी कोचिंग संस्थानों द्वारा चलाए जा सकते हैं। राज्य सरकारों के व्यय के बचनबद्ध स्तर के अतिरिक्त राज्य सरकारों को 50:50 के समान आधार पर सहायता दी जाती है। संघ राज्य क्षेत्रों/विश्वविद्यालयों तथा निजी संस्थानों के मामले में 100% अनुदान दिया जाता है।

(ख) सूचना अनुबन्ध "क" में दी गई है। **[देखिए परिशिष्ट 181 अनुपत्र संख्या 38]**

(ग) परीक्षापूर्व प्रशिक्षण केन्द्र अगले वित्त वर्ष के लिए प्रस्ताव के साथ संबंधित वर्ष के लिए लेखा परीक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा वास्तविक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों के पास पड़ी उपयोग न की गई शेष धनराशि, यदि कोई हो, तो अगले वित्त वर्ष के दौरान स्वीकृत राशि से समायोजित की जाती है।

परीक्षा पूर्व, प्रशिक्षण केन्द्रों से नए अनुदान प्रस्तावों के प्राप्त होने पर कल्याण मंत्रालय द्वारा उनके पूर्वनिष्पादन तथा निधियों के वास्तविक उपयोग की समीक्षा की जाती है।

Financial assistance to Voluntary Organisations in Gujarat

1385. **SHRIMATI ANADIBEN JETHABHAI PATEL:**
SHRI BRAHMUKUMAR BHATT:

Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether financial assistance has been provided to voluntary organisations in Gujarat during the last three years;

(b) if so, the details of assistance given and the organisations benefited thereby;

(c) whether it is a fact that these organisations have not submitted their accounts and reports regularly to Government; and

(d) if so, the details of such organisations?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA): (a) Yes, Sir.

(b) The details of grant in aid released to the voluntary organisations in Gujarat during the last three years are at Annexure. *[See* Appendix 181, Annexure No. 39]

(c) No grant in aid is released to any voluntary organisation for subsequent year until and unless audited statement of accounts and performance report for previous year is received.

(d) In view of (c) above, question does not arise.

मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूचियों में शामिल जातियां

1386. **श्री राघवजी:** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में ऐसी कौन-कौन सी जातियां हैं जो राज्य के कुछ क्षेत्रों में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल हैं और कुछ क्षेत्रों में शामिल नहीं हैं;

(ख) उसके कारण क्या है;

(ग) क्या यह मांग सरकार के समक्ष आई है कि इन जातियों को पूरे प्रदेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किया जाये; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया